2018 का विधेयक संख्यांक 54

[दि वर्किंग वीमन (बेसिक फैसिलिटीज एंड वेल्फेयर) बिल, 2018 का हिन्दी रूपांतर]

डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य

का

कामकाजी महिला (मूलभूत सुविधाएं एवं कल्याण) विधेयक, 2018

महिलाओं को भेदभाव से सुरक्षा तथा शिशुसदन, मनोरंजन सुविधाएं, मातृत्व संबंधी लाभ, छात्रावास और परिवहन सुविधाओं जैसी मूलभूत सुविधाओं आदि तथा सरकारी संस्थानों; बैंकों एवं पत्तनों सहित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों एवं स्कूलों सहित शैक्षणिक संस्थानों, कारखानों, खदानों, पौधारोपण, कृषीय क्षेत्रों, बागानों एवं अन्य ऐसे स्थानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए नियोक्ताओं और राज्य द्वारा किए जाने वाले कल्याणकारी उपायों का तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कामकाजी महिला (मूलभूत सुविधाएं एवं कल्याण) अधिनियम, 2018 है।

(*2*) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(*3*) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''समुचित सरकार'' से राज्य के मामले में उस राज्य की सरकार और अन्य मामलों में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ख) ''शिशु'' में मृत जन्मा शिशु शामिल है;

(ग) ''नियोक्ता'' से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) ऐसे संस्थान, जो एक समुचित सरकार के नियंत्रणाधीन हैं, के संबंध में वह व्यक्ति या प्राधिकारी, जिसे समुचित सरकार द्वारा कर्मचारियों के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के लिए नियुक्त किया गया है अथवा जहां ऐसा कोई व्यक्ति या प्राधिकारी नियुक्त नहीं है, वहां संस्थान प्रमुख;

(ii) ऐसे संस्थान, जो किसी स्थानीय स्व-शासन अथवा प्राधिकरण के अधीन हैं, के संबंध में कर्मचारियों के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण हेतु उक्त प्राधिकरण या स्थानीय स्व-शासन द्वारा नियुक्त व्यक्ति अथवा जहां ऐसा व्यक्ति नियुक्त नहीं है, वहां स्थानीय स्व-शासन या प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, चाहे वे जिस भी नाम से जाने जाएं;

(iii) अन्य मामलों में, वह व्यक्ति या प्राधिकरण जिसके पास संस्थान के कार्यों पर अंतिम नियंत्रण है;

(घ) ''संस्थान'' में समुचित सरकार, तार विभाग सहित अर्ध-सरकारी या विभाग का कार्यालय डाक विभाग, टेलीफोन एक्सचेंज, खदान, बागान, कृषीय क्षेत्र, अस्पताल या नर्सिंग होम, कोई दुकान या अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान, भट्टा, निर्माण स्थल, कोई बैंकिंग प्रतिष्ठान, गैर-सरकारी कार्यालय अथवा आवास, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय अथवा ऐसे संस्थान, घुड़सवारों, कलाबाजों एवं अन्य प्रदर्शन हेतु निर्मित प्रतिष्ठान और ऐसे अन्य स्थान शामिल हैं, जहां कोई महिला किसी कार्य के लिए नियोजित है;

(ङ) ''कारखाना'' से कारखाना अधिनियम, 1948 में यथा परिभाषित कारखाना अभिप्रेत है;

(च) ''उद्योग'' से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में यथा परिभाषित उद्योग अभिप्रेत है;

(छ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा अभिप्रेत हैं;

(ज) ''कामकाजी महिला'' से अभिप्रेत है ऐसी महिला जिसे किसी प्रतिष्ठान, कारखाने या उद्योग में मजदूरी के लिए यथास्थिति किसी एजेंसी या संविदाकार के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित किया जाता है।

समुचित सरकार द्वारा कामकाजी महिलाओं के लिए भेदभाव-रहित और समान पारिश्रमिक सुनिश्चित किया जाना।

3. समुचित सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा लिंग आधार पर महिला कर्मचारियों के साथ, विशेषकर वेतन भुगतान के मामले में कोई भेदभाव नहीं किया जाए और उन्हें वही वेतन मिले जो उनके पुरुष सहकर्मियों को मिलता है।

नियोक्ता द्वारा कामकाजी महिलाओं के लिए बाल सुश्रुसा सुविधाएं उपलब्ध कराना।

4. (*1*) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में निहित किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक नियोक्ता अपने संस्थान में कार्यरत महिला कर्मचारियों के बच्चों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, जिसमें दूध, टिफिन, कपड़े, खिलौने और कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल करने के लिए प्रशिक्षित आया की व्यवस्था करेंगे।

(*2*) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कृषीय क्षेत्र का प्रत्येक नियोक्ता अपने संस्थान में सचल बाल सुश्रुसा सुविधाएं उपलब्ध कराए:

परन्तु यह कि ऐसे दो या दो से अधिक नियोक्ता अपने संस्थानों के लिए सामूहिक रूप से उक्त बाल सुश्रुसा सुविधाएं दे सकेंगे।

(*3*) समुचित सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए अन्य ऐसे स्थानों पर उतने शिशुसदन खोल सकेगी, जितना वह उचित समझे।

5. समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नियोक्ता कामकाजी महिलाओं के कार्यस्थल या निर्माण कार्यस्थल पर स्नानागार, शौचालय, पेयजल जैसी सुविधाओं के साथ आराम-कक्ष की व्यवस्था करे और उनके तथा उनके बच्चों के लिए रेडियो, टेलीविजन आदि जैसी मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध कराए। मनोरंजन सुविधाएं।

6. समुचित सरकार नियोक्ता के साथ मिलकर संस्थान, कारखाना अथवा, उद्योग यथास्थिति, में कार्यरत महिलाओं तथा उनके निवास स्थान से आने जाने में उनकी सुरक्षा के लिए समुचित सुरक्षा के उपाय करेगी। सुरक्षा प्रबंध।

7. समुचित सरकार का यह भी दायित्व होगा कि वह अस्पतालों और औषधालयों में कामकाजी महिलाओं के लिए बेड के आरक्षण और पर्याप्त मातृत्व संबंधी सुविधाएं सुनिश्चित करे और उसमें इन्डोर पेशेन्ट सुविधाएं भी सुनिश्चित करे। मातृत्व सुविधाएं।

8. समुचित सरकार और नियोक्ता विवाहित एवं अविवाहित कामकाजी महिलाओं के लिए उनके कार्यस्थल से निकटतम स्थान पर छात्रावास और आवासीय सुविधाएं तथा ऐसी कामकाजी महिलाओं के लिए सस्ता, सुरक्षित और त्वरित परिवहन सुविधाएं मुहैया कराएगी। छात्रावास और परिवहन सुविधाएं।

9. समुचित सरकार विशेषकर उन महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जोखिमों से सुरक्षा सुनिश्चित करेगी जो बीड़ी, तम्बाकू जैसे कारखानों या उद्योगों में पत्थर खदानों, काजू, मछली प्रसंस्करण, नमक रेशम उद्योगों, निर्माण परियोजनाओं एवं यथा विहित ऐसे अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं। स्वास्थ्य जोखिमों से सुरक्षा।

10. (*1*) समुचित सरकार कामकाजी महिलाओं का रजिस्टर उस रीति से और उस स्थान पर रखेगी, जैसा विहित हो; कामकाजी महिलाओं का रजिस्टर।

(*2*) समुचित सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजन से किसी नियोक्ता से ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी अवधि के भीतर ऐसी सांख्यिकीय एवं अन्य सूचना मांग सकेगी है जो विहित हो।

11. इस अधिनियम के उपबंध और इसके अधीन बनाए गए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट इनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे परन्तु उपर्युक्त को छोड़कर इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में। अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव।

12. (*1*) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति।

(*2*) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र अथवा आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन अथवा उसे बातिल करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् यथास्थिति वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा अथवा निष्प्रभावी होगा। किंतु उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

देश में लगातार हो रही कन्या भ्रूण हत्या और लड़कियों की घटती हुई आबादी तथा महिलाओं के प्रति समाज के दकियानूसी रवैये के बावजूद अधिक से अधिक महिलाएं अपने परिवारों को सहयोग देने के लिए घर से बाहर निकलकर काम करने जा रही हैं। परिणामस्वरूप, सरकारी सेवाओं, कारखानों, उद्योगों, वाणिज्यिक संस्थानों, कृषि, खदानों, मत्स्य प्रसंस्करण क्षेत्र, रेशम उद्योग एवं अन्य में कामकाजी महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, किन्तु उनके कार्य की स्थितियों में सुधार की आवश्यकता है। सरकारी और निजी नियोक्ताओं द्वारा कामकाजी महिलाओं को उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न मूलभूत और आवश्यक सुविधाएं या तो मौजूद नहीं हैं या पर्याप्त अथवा संतोषजनक नहीं हैं। दुर्भाग्यवश, कृषि क्षेत्र सहित अधिकांश निजी क्षेत्र में ये सुविधाएं न्यूनतम हैं अथवा नाममात्र की हैं और इस प्रकार वहां महिलाएं शोषित हैं। वर्तमान श्रम कानून कामकाजी महिलाओं एवं उनके बच्चों के लिए समुचित चिकित्सीय, शैक्षणिक, मनोरंजन एवं अन्य सुविधाओं का उपबंध नहीं करते। सुरक्षा, परिवहन, आवास जैसे अन्य सामाजिक उपाय भी अब तक नहीं किए गए हैं। कई संस्थानों में उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता है। इस भेदभाव को रोकना आवश्यक है।

अत: यह आवश्यक हो गया है कि कामकाजी महिलाओं के लिए समुचित कल्याणकारी उपाय किए जाएं।

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली;
28 जनवरी, 2018
8 माघ, 1939 (शक)

उदित राज

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खंड 4 में कामकाजी महिलाओं के लिए बाल सुश्रुसा का उपबंध करता है। खंड 5 में महिलाओं और उनके बच्चों के लिए मनोरंजन सुविधाओं का उपबंध है। खण्ड 6 में उपबंध है कि समुचित सरकार कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त और समुचित उपाय किए जाएं। खंड 7 में मातृत्व संबंधी सुविधाओं का उपबंध किया गया है। खंड 8 कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल और परिवहन सुविधाओं का उपबंध करता है। खंड 9 कामकाजी महिलाओं का स्वास्थ्य संबंधी खतरों से संरक्षण किए जाने का उपबंध करता है। राज्यों के संबंध में व्यय संबंधित राज्य सरकार की संचित निधि में से किया जाएगा। तथापि, संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में व्यय भारत की संचित निधि में से किया जाएगा। यदि यह विधेयक अधिनियमित हो जाता है, तो इसमें भारत की संचित निधि से व्यय अंतर्ग्रस्त होगा। इस पर दो हजार करोड़ रुपए का आवर्ती व्यय होने का अनुमान है।

इस पर पांच हजार करोड़ रुपए का अनावर्ती व्यय भी होगा।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खंड 12 केन्द्रीय सरकार को इस विधेयक के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। चूंकि ये नियम केवल ब्यौरे के मामलों से संबंधित होंगे, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकार का है।

लोक सभा

महिलाओं को भेदभाव से सुरक्षा तथा शिशुसदन, मनोरंजन सुविधाएं, मातृत्व संबंधी लाभ, छात्रावास और परिवहन सुविधाओं जैसी मूलभूत सुविधाओं आदि तथा सरकारी संस्थानों; बैंकों एवं पत्तनों सहित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों एवं स्कूलों सहित शैक्षणिक संस्थानों, कारखानों, खदानों, पौधारोपण, कृषीय क्षेत्रों, बागानों एवं अन्य ऐसे स्थानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए नियोक्ताओं और राज्य द्वारा किए जाने वाले कल्याणकारी उपायों का तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

(डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य)

MGIPMRND—4244LS(S3)—27-02-2018.